भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2753

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एग्रीस्टैंक पहल की प्रगति

2753. श्री आदित्य यादवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में एग्रीस्टैक पहल और डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री के निर्माण की वर्तमान परिचालन स्थिति एवं इसके क्रियान्वयन की प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा उत्तर प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 11 करोड़ किसानों को शामिल करने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक सृजित विशिष्ट डिजिटल किसान पहचान-पत्रों की कुल संख्या कितनी है तथा सभी कृषि भू-खंडों एवं भू-अभिलेखों का इस रजिस्ट्री के साथ पूर्ण समन्वयन कव तक किए जाने की संभावना है;

(ग) लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए इस डिजिटल डेटाबेस का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण हेतु जन समर्थ मंच तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित फसल खरीद जैसी वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं के साथ किस प्रकार एकीकरण किया जा रहा है, और

(घ) किसानों के व्यक्तिगत एवं भूमि संबंधी आंकड़ों को निजी प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा अनधिकृत उपयोग या दुरुपयोग को रोकने हेतु सहमति प्रबंधक की भूमिका सहित सरकार द्वारा उठाए गए ठोस उपायों एवं स्थापित डेटा गोपनीयता तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): एग्रीस्टैक किसान केंद्रित एक डीपीआई है जिसे किसानों तक सेवाओं और योजनाओं को कुशलतापूर्वक, आसानी से और तेज़ी से पहुँचाने के लिए लोक हित में तैयार किया गया है। यह किसान के प्राथमिक व्यवसाय पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक किसान की व्यापक प्रोफाइल जैसे किसान का विवरण, भूमि का रिकॉर्ड, उगाई गई फ़सलें तथा पशुधन एवं मत्स्य पालन जैसी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन फाउंडेशनल रजिस्ट्रियाँ शामिल हैं, अर्थात किसान रजिस्ट्री, जियो-रेफरेंस विलेज मैप्स और बोई गई फसल की रजिस्ट्री, जिसे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाया और रख-रखाव किया जाता है।

किसानों के विवरण को उनके डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड के साथ एकत्रित करके किसान आईडी बनाई जाती है। 30 जुलाई, 2026 तक, 10.28 करोड़ से अधिक किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 2.46 करोड़ से अधिक किसान आईडी शामिल हैं। देश में राज्य-वार बनाई गई किसान आईडी का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ज़िला-वार बनाई गई किसान आईडी का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

इसके अलावा, रबी 2025-26 के दौरान, देश भर के 648 ज़िलों में 31.3 करोड़ से अधिक प्लॉट को कवर करते हुए डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया था।

(ग): एग्रीस्टैक के तहत बनाई गई किसान रजिस्ट्री, कृषि सेवाओं और लाभों के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए एक आधारभूत डेटा बेस के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे पीएम-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए जन समर्थ प्लेटफॉर्म और एमएसपी-आधारित फसल खरीद प्रणालियों सहित विभिन्न किसान-केंद्रित योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर सेवा दी जा सके।

(घ): राज्य किसान रजिस्ट्री को एक फ़ेडरेटेड आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि डेटा का स्वामित्वाधिकार संबंधित राज्यों के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के अनुसार एग्री स्टैक विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के डेटा की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करना है, ताकि डेटा केवल उनकी सहमति से ही एकत्र किया जाए और विशेष उद्देश्य के लिए अधिकृत संस्थाओं के साथ डेटा शेयर करने पर किसानों का पूर्ण नियंत्रण हो। इसके अतिरिक्त, एग्री स्टैक की सिक्योरिटी फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की साइबर-सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन करती हैं। एग्री स्टैक किसानों की जानकारी का रख-रखाव एन्क्रिप्टेड तरीके से रखता है ताकि केवल अधिकृत सिस्टम ही इसे पढ़ सके।

अनुबंध –I

दिनांक 30.07.2026 तक राज्य वार लक्षित किसानों की संख्या तथा किसानों को सृजित किसान आईडी की संख्या

क्रमांक	**राज्य का नाम**	**सृजित किसान आईडी की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	50,86,090
2	असम	14,16,816
3	बिहार	55,45,056
4	छत्तीसगढ़	36,87,884
5	गुजरात	62,37,105
6	हरियाणा	12,12,939
7	हिमाचल प्रदेश	5,96,501
8	कर्नाटक	65,33,771
9	केरल	25,63,112
10	मध्य प्रदेश	1,14,44,933
11	महाराष्ट्र	1,35,66,280
12	ओडिशा	20,57,366
13	पंजाब	3,72,429
14	राजस्थान	87,33,510
15	सिक्किम	36,709
16	तमिलनाडु	36,51,008
17	तेलंगाना	50,40,488
18	त्रिपुरा	87,292
19	उत्तर प्रदेश	2,46,28,676
20	उत्तराखंड	3,27,414
	कुल	**10,28,25,379**

अनुबंध –II

दिनांक 30.07.2026 तक उत्तर प्रदेश में सृजित किसान आईडी की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल सृजित किसान आईडी
1	रामपुर	3,21,472
2	गाजियाबाद	62,853
3	मुरादाबाद	3,14,378
4	अमरोहा	2,29,943
5	महोबा	1,40,901
6	फतेहपुर	3,83,409
7	सीतापुर	7,26,097
8	श्रावस्ती	1,95,737
9	अंबेडकर नगर	4,25,185
10	चंदौली	2,36,414
11	आजमगढ़	7,58,877
12	बरेली	4,97,636
13	जालौन	2,19,414
14	बिजनौर	3,75,342
15	अयोध्या	3,86,605
16	अलीगढ़	3,71,213
17	पीलीभीत	3,11,281
18	औरैया	2,26,785
19	भदोही	2,22,095
20	शाहजहांपुर	4,21,933
21	हमीरपुर	1,80,667
22	मिर्जापुर	3,41,703
23	हाथरस	1,95,305
24	बलिया	4,05,839
25	अमेठी	2,83,648
26	गाजीपुर	5,06,568
27	फिरोजाबाद	2,67,166
28	खेरी	6,26,190
29	बाराबंकी	4,91,071
30	कासगंज	2,05,962

31	मथुरा	2,68,662
32	रायबरेली	4,68,717
33	संभल	2,92,944
34	लखनऊ	2,11,900
35	शामली	1,13,052
36	हापुड़	1,12,818
37	सोनभद्र	1,86,414
38	हरदोई	6,86,929
39	आगरा	3,27,970
40	कौशांबी	2,02,575
41	बुलंदशहर	3,79,939
42	गोरखपुर	4,75,774
43	बाँदा	2,43,070
44	उन्नाव	4,66,139
45	बहराइच	5,04,730
46	सहारनपुर	2,87,521
47	बस्ती	4,33,682
48	झांसी	2,22,145
49	शाहजहांपुर	4,45,257
50	एटा	2,68,565
51	बलरामपुर	2,60,871
52	चित्रकूट	1,39,253
53	देवरिया	4,42,500
54	बागपत	1,10,654
55	मऊ	2,52,039
56	कानपुर नगर	2,34,121
57	महाराजगंज	4,33,618
58	वाराणसी	2,36,552
59	कन्नौज	2,39,428
60	कानपुर देहात	2,84,471
61	संतकबीर नगर	2,27,260

62	गोंडा	4,71,249
63	प्रयागराज	5,86,689
64	सुल्तानपुर	4,27,040
65	मुजफ्फर नगर	2,15,365
66	फर्रुखाबाद	2,01,394
67	जौनपुर	7,05,897
68	सिद्धार्थ नगर	3,23,031
69	गौतमबुद्ध नगर	45,708
70	इटावा	2,19,437
71	ललितपुर	2,05,346
72	कुशीनगर	4,86,806
73	मेरठ	1,84,033
74	मैनपुरी	2,98,272
75	प्रतापगढ़	4,86,809
	कुल	**2,46,48,335**
